प्रारूप कमांक --1
समितियों के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र
(देखिये नियम 3)

संशोधित
A.M./6166/05
3-3-06

(1) संस्था का नाम : संभव समाज सेवी संस्था

(2) संस्था का कार्यालय : 19 न्यू विवेकानंद कॉलोनी बलवंत नगर एसरोडेशन ग्वालियर संभाग म.प्र. होगा ।

(3) संस्था के उद्देश्य निम्नानुसार होंगे :

1. सामाजिक निवेश को विभिन्न सुविधाऐं प्रदत्त करने का प्रयत्न करना जैसे --शिशु देखभाल, स्वच्छ पानी , शौचालय, निर्धूम चूल्हा , वृक्षारोपण ,परिवार कल्याण , प्रौढ शिक्षा , दहेज उन्मूलन अनिवार्य शिक्षा स्त्री पुरुष को समानता , अल्पबचत माता पिता की सम्पत्ति में पुत्री का अधिकार जैसे आधार भूत समस्याओं पर प्रशिक्षण तथा प्रचार की व्यवस्था करना जिससे महिलाओं के जीवन की गुणवत्ता में उन्नति हो ।

2. ग्रामीण बाल एवं महिला विकास सुधार हेतु प्राथमिक विद्यालय औपचारिकेत्तर केन्द्र तथा सभी स्तर के शिक्षा के केन्द्रों की ओर उनका संचालन करना ।

3. महिलाओं हेतु सामाजिक एवं आर्थिक चेतना विकास प्रयत्नों की प्राथमिकता देना उनके लिए व्यवसायिक प्रशिक्षण लघु उद्योग स्थापना तथा एकीकृत विकास इत्यादि कार्यक्रमों का आयोजन तथा संचालन करना ।

4. ग्रामीण मजिहला एवं युवक क्लबों की स्थापना करना तथा विभिन्न सामाजिक ,सांस्कृतिक खेल केन्द्र स्वास्थ एवं पोषण सम्बन्धी कियाकलापों का संचालन करना ।

5. समान उद्देश्य तथा कार्यो में लगी सरकारी एव गैर सरकारी संस्थाओं , विशेषज्ञों व अन्य इच्छुक व्यक्तियों से परामर्श एवं मार्गदर्शन व आर्थिक सहयोग प्राप्त करना ।

6. दृष्टिहीन शारीरिक एवं मानसिक रुप से विकलांग तथा क्षतिग्रस्त व्यक्तियों के लिए परामर्श एवं अन्य प्रकार की सुविधाऐं उपलब्ध कराना ।

7. लोगों में नैतिक मूल्यों के सुधार सभी धर्मो के प्रति आदर तथा जाति एवं धर्म के मतभेद को दूर करने का प्रयत्न करना

8. राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय एकता सद्भावना तथा विश्व बन्धुत्व के सिध्दान्तों के प्रति चेतना एवं जागृति का विकास करना ।

9. बाल विकास के कार्यकमों के अन्तर्गत सभी पक्षों जैसे शारीरिक मानसिक सामाजिक तथा आध्यात्मिक कियाकलापों का संचालन करना ।

10 ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य दशा को सुधारने हेतु विभिन्न प्रकार के स्वास्थ कार्यक्रम संचालन करना जैसे चिकित्सालय की स्थापना संचालन स्वास्थ कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण स्वास्थ संबंधी साहित्य तथा शिक्षण सामग्री तैयार करना इत्यादि ।

11 निराश्रित तथा निर्धन विधवाओं वृद्ध लोगो के लिये सभी प्रकार की सुविधाओं जैसे आवास भोजन स्वास्थ इत्यादि को उपलब्ध कराना ।

12 नशान नशीले पदार्थो के सेवन को रोकने के लिये प्रभावकारी कार्यक्रम आयोजित करना ।

13 पर्यावरण सुरक्षा एवं समस्याओं के प्रति जन जागरुप आंदोलन चलाना तथा इस दिशा मे सुचारु रुप से प्रभावकारी कार्यक्रम आयोजित करना ।

B.S. Nayak

14 ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य दशा को सुधारने हेतु विभिन्न प्रकार के स्वास्थ कार्यक्रम संचालन करना जैसे चिकित्सालय की स्थापना चिकित्सा महाविद्यालय , सहचिकित्सा महाविद्यालय प्रशिक्षण केन्द्र का संचालन , स्वास्थ कार्यकर्त्ताओं का प्रशिक्षण स्वास्थ्य संबंधी साहित्य तथा शिक्षण सामग्री तैयार करना इत्यादि ।

उपाध्यक्ष　　　सचिव　　　कोषाध्यक्ष

Reg/6166/05
3.3.06

विधान

संशोधित

(1) संस्था का नाम : संभव समाज सेवी संस्था

(2) संस्था का कार्यालय : 19 न्यू विवेकानंद कॉलोनी बलवंत नगर एयरटेशन ग्वालियर संभाग म.प्र. होगा ।

(3) संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण भारत होगा।

(4) संस्था के उददेश्य निम्नानुसार होंगे। :

1 सामाजिक निवेश को विभिन्न सुविधाऐं प्रदत्त करने का प्रयत्न करना जैसे –शिशु देखभाल, स्वच्छ पानी , शौचालय, निर्धम चूल्हा , वृक्षारोपण ,परिवार कल्याण , प्रौढ शिक्षा , दहेज उन्मूलन अनिवार्य शिक्षा स्त्री पुरुष को समानता , अल्पबचत माता पिता की सम्पत्ति में पुत्री का अधिकार जैसे आधार भूत समस्याओं पर प्रशिक्षण तथा प्रचार की व्यवस्था करना जिससे महिलाओं के जीवन की गुणवत्ता में उन्नति हो ।

2 ग्रामीण बाल एवं महिला विकास सुधार हेतु प्राथमिक विद्यालय औपचारिकेत्तर केन्द्र तथा सभी स्तर के शिक्षा के केन्द्रों की और उनका संचालन करना ।

3 महिलाओं हेतु सामाजिक एवं आर्थिक चेतना विकास प्रयत्नो की प्राथमिकता देना उनके लिए व्यवसायिक प्रशिक्षण लघु उद्योग स्थापना तथा एकीकृत विकास इत्यादि कार्यक्रमों का आयोजन तथा संचालन करना ।

4 समाज में मजिहला एवं युवक क्लबों की स्थापना करना तथा विभिन्न सामाजिक ,सांस्कृतिक खेल केन्द्र स्वास्थ एवं पोषण सम्बन्धी कियाकलापों का संचालन करना ।

5 समान उददेश्य तथा कार्यो में लगी सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं , विशेषज्ञों व अन्य इच्छुक व्यक्तियों से परामर्श एवं मार्गदर्शन व आर्थिक सहयोग प्राप्त करना ।

6 दृष्टिहीन शारीरिक एवं मानसिक रुप से विकलांग तथा क्षतिग्रस्त व्यक्तियों के लिए परामर्श एवं अन्य प्रकार की सुविधाऐं उपलब्ध कराना ।

7. लोगों में नैतिक मूल्यों के सुधार सभी धर्मों के प्रति आदर तथा जाति एवं धर्म के मतभेद को दूर करने का प्रयत्न करना

8. राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय एकता सद्‌भावना तथा विश्व बन्धुत्व के सिध्दान्तों के प्रति चेतना एवं जागृति का विकास करना ।

9. बाल विकास के कार्यक्रमों के अन्तर्गत सभी पक्षो जैसे शारीरिक मानसिक सामाजिक तथा आध्यात्मिक कियाकलापों का संचालन करना ।

10 ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य दशा को सुधारने हेतु विभिन्न प्रकार के स्वास्थ कार्यक्रम संचालन करना जैसे चिकित्सालय की स्थापना संचालन स्वास्थ कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण स्वास्थ संबंधी साहित्य तथा शिक्षण सामग्री तैयार करना इत्यादि ।

B.S. [illegible]

11 निराश्रित तथा निर्धन विधवाओं वृद्ध लोगों के लिये सभी प्रकार की सुविधाओं जैसे आवास भोजन स्वास्थ इत्यादि को उपलब्ध कराना ।

12 मधपान नशीले पदार्थो के सेवन को रोकने के लिये प्रभावकारी कार्यक्रम आयोजित करना ।

13 पर्यावरण सुरक्षा एवं समस्याओं के प्रति जन जागरण आंदोलन चलाना तथा इस दिशा में सुचारु रुप से प्रभावकारी कार्यक्रम आयोजित करना ।

14 ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य दशा को सुधारने हेतु विभिन्न प्रकार के स्वास्थ कार्यक्रम संचालन करना जैसे चिकित्सालय की स्थापना चिकित्सा महाविद्यालय , सहचिकित्सा महाविद्यालय प्रशिक्षण केन्द्र का संचालन , स्वास्थ कार्यकर्त्ताओं का प्रशिक्षण स्वास्थ संबंधी साहित्य तथा शिक्षण सामग्री तैयार करना इत्यादि ।

उपाध्यक्ष

सचिव

कोषाध्यक्ष

(5) सदस्यता :– संस्था के निम्नलिखित श्रेणी के सदस्य होंगे :–

(अ) संरक्षक सदस्य,–संस्था को जो व्यक्ति दान के रूप में रूपये 350/– या अधिक एकमुश्त या एक साल में बारह किश्तो में देगा वह समिति का संरक्षण सदस्य होगा ।

(ब) आजीवन सदस्यः– जो व्यक्ति संस्था को दान के रूप में रूपये 150/– या अधिक देकर वह आजीवन सदस्य बन सकेगा. कोई भी आजीवन सदस्य रूपये 200/– या अधिक देकर संरक्षण सदस्य बन सकता है ।

(स) साधारण सदस्यः– जो व्यक्ति रूपये 1/00 माह रूपये 12/00 प्रति वर्ष संस्था का चंदा के रूप में देगा वह साधारण सदस्य होगा। साधारण सदस्य केवल उसी अवधि के लिये होगा । जिसके लिये उसने चंदा दिया है। जो साधारण सदस्य बिना सन्तोषजनक कारणो के छः माह तक देय चंदा नहीं देगा उसकी सदस्यता समाप्त हो जावेगी। ऐसे सदस्य द्वारा संस्था के लिये नया आवेदन–पत्र देने तथा बकाया शुल्क राशि देने पर पुनः सदस्य बनाया जा सकता है।

(द) सम्माननीय सदस्यः– संस्था की प्रबंधकारिणी किसी व्यक्ति या व्यक्तियो को उस समय के लिये जो भी वह उचित समझे सम्माननीय सदस्य बना सकती है ऐसे सदस्य साधारण सभा की बैठक में भाग ले सकते है, परन्तु उनको मत देने का अधिकार न होगा।

(6) सदस्यता की प्राप्तिः– प्रत्येक व्यक्ति जो कि समिति का सदस्य बनने का इच्छुक हो लिखित रूप में आवेदन करना होगा। ऐसा आवेदन–पत्र प्रबंधकारिणी समिति को प्रस्तुत होगा। जिसके आवेदन पत्र को स्वीकार करने या अमान्य करने का अधिकार होगा ।

(7) सदस्यों की योग्यता,– संस्था का सदस्य बनने के लिये किसी व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यता होनी आवश्यक है :–
(अ) आयु 18 वर्ष से कम न हो ।
(ब) भारतीय नागारिक हो ।
(स) समिति के नियमों के पालन की प्रतिज्ञा की हो ।
(द) सद्चरित्र हो तथा मद्यपान न करता हो ।

(8) सदस्यता की समाप्ति,– संस्था की सदस्यता निम्नलिखित स्थिति में समाप्त हो जावेगीः–
(1) मृत्यु हो जाने पर ।
(2) पागल हो जाने पर ।
(3) संस्था को देय चंदे की रकम नियम 5 में बताये अनुसार जमा न करने पर ।
(4) त्याग–पत्र देने पर और उसके स्वीकार होने पर।
(5) चरित्र दोष होने पर और कार्यकारिणी समिति के निर्णयानुसार निकाल दिये जाने पर जिसके निर्णय पारित होने की सूचना उक्त सदस्य को लिखित रूप में देना होगी ।

(9) संस्था कार्यालय में सदस्य पंजी रखी जावेगी जिसमें निम्न ब्यौरे दर्ज किये जावेंगे :–
(1) प्रत्येक सदस्य का नाम, पता तथा व्यवसाय, तिथि सहित ।
(2) वह तारीख जिस दिन सदस्यों को प्रवेश दिया गया हो व रसीद नं. ।
(3) वह तारीख जिसमें सदस्यता समाप्त हुई हो।

(10) (अ) साधारण सभा .– साधारण सभा में नियम 5 में दर्शाये श्रेणी के सदस्य समावेशित होंगे। साधारण सभा की बैठक आवश्यकतानुसार हुआ करेगी परन्तु वर्ष में एक बार बैठक अनिवार्य हो बैठक का माह तथा बैठक का स्थान व समय कार्यकारिणी समिति निश्चित कर 15 दिवस पूर्व

प्रत्येक सदस्य को दी जावेगी। बैठक का कोरम 3/5 सदस्यों का होगा। संस्था की प्रथम आम सभा पंजीयन दिनांक से 3 माह के भीतर बुलाई जावेगी। उसमें संस्था के पदाधिकारियों का विधिवत निर्वाचन किया जावेगा। यदि संबंधित आम सभा का आयोजन किसी समय नहीं किया जाता तो पंजीयक को अधिकार होगा कि वह संस्था की आम सभा का आयोजन किसी जिम्मेदार कर्मचारी के मार्गदर्शन में बैठक बुलाकर पदाधिकारियों का विधिवत चुनाव कराया जावेगा।

(ब) प्रब्रनधकारिणी सभा.– प्रबन्धकारिणी सभा बैठक प्रत्येक माह होगी तथा बैठक का एजेण्डा तथा सूचना बैठक दिनांक से सात दिन पूर्व कार्यकारिणी के प्रत्येक सदस्य को भेजी जाना आवश्यक होगी। बैठक में कोरम 1/2 सदस्यों का होगा। यदि बैठक का कोरम पूर्ण नहीं होता तो बैठक एक घण्टे के लिये स्थगित की जाकर उसी स्थान पर उसी दिन पुनः की जा सकेगी जिसके लिये कोरम की कोई शर्त न होगी ।

(स) विशेष.–यदि कम से कम कुल संख्या (कुल सदस्यों की संख्या का) के 2/3 सदस्यों द्वारा लिखित रूप से बैठक बुलाने हेतु आवेदन करें तो उनके दर्शाये विषय पर विचार करने के लिये साधारण सभा की बैठक बुलायी जावेगी। विशेष संकल्प पारित हो जाने पर संकल्प की प्रति बैठक पंजीयक को संकल्प पारित हो जाने के दिनांक से 14 दिन के भीतर भेजा जावेगा। पंजीयक को इस संबंध मे आवश्यक निर्देश जारी करने तथा समिति का परामर्श देने का अधिकार होगा।

(11) साधारण सभा के अधिकार व कर्तव्य,–
(1) संस्था के पिछले वर्ष का वार्षिक विवरण, प्रगति प्रतिवेदन स्वीकृत करना ।
(2) संस्था की स्थाई निधि व संपति की ठीक व्यवस्था करना ।
(3) आगामी वर्ष के लिये लेखापरीक्षकों की नियुक्ति करना।
(4) अन्य ऐसे विषयो पर विचार करना जो प्रबन्धकारिणी द्वारा प्रस्तुत हो ।
(5) संस्था द्वारा संचालित संस्थाओं के आय–व्यय पत्रकों को स्वीकृत करना ।
(6) बजट का अनुमोदन करना।

(12) प्रबन्धकारिणी का गठन,– ट्रस्टीज यदि कोई हो समिति के पदेन सदस्य रहेंगे. नियम 5(अ, ब, स.) में दर्शाये गये सदस्यों जिनके नाम पंजी रजिस्टर में दर्ज हों बैठक में बहुमत के आधार पर निम्नांकित पदाधिकारियो तथा प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यो का निवार्चन होगा --
(1) अध्यक्ष,–1 (2) उपाध्यक्ष –2 (3) सचिव –1 (4) कोषाध्यक्ष –1 (5) संयुक्त सचिव –1 (6) सदस्य 4 (5) संयुक्त कोषाध्यक्ष –1

(13) प्रबन्ध समिति का कार्यकाल– प्रबंध समिति का कार्यकाल 3 वर्ष होगा। समिति का यथेच्छा करण होने पर उस समय तक जब कि नई प्रबंधकारिणी समिति का निर्माण नियमानुसार या अन्य कारणों से नहीं हो जाता, करती रहेगी. किन्तु उक्त अवधि 6 माह से अधिक नहीं होगी जिसका अनुमोदन साधारण सभा से कराना होगा ।

(14) प्रबन्धकारिणी के अधिकार व कर्तव्य,–
(1) जिन उद्द्येश्यौं की प्राप्ति हेतु समिति का गठन हुआ है उसकी पूर्ति करना और इस आशय की पूर्ति हेतु व्यवस्था करना ।
(2) पिछले वर्ष का आय–व्यय का लेखा पूर्णतः परीक्षित किया हुआ प्रगति प्रतिवेदन के साथ प्रति वर्ष साधारण सभा की बैठक में प्रस्तुत करना. ।

(3) समिति एवं उसके अधीन संचालित संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते आदि का भुगतान करना. संस्था की चल–अचल सम्पति पर लगने वाले कर आदि का भुगतान करना।
(4) कर्मचारियों, शिक्षकों आदि की नियुक्ति करना उनके सेवा नियमो व उपनियमों को बनाना एवं उनकी सेवा संबंधी समस्त प्रबंध व अधिकार प्रबंधकारिणी के आधीन रहेगा।
(5) अन्य आवश्यक कार्य करना जो साधारण सभा द्वारा समय–समय पर सौंपे जाए ।
(6) संस्था की समस्त चल–अचल सम्पति, कार्यकारिणी समिति के नाम से रहेगी ।
(7) संस्था द्वारा स्थावर सम्पति, रजिस्ट्रार की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा अन्यथा अर्जित या अन्तरित नहीं की जायेगी।
(8) विशेष बैठक आमंत्रित कर संस्था के विधान में संशोधन किये जाने के प्रस्ताव पर विचार–विमर्श कर साधारण सभा की बैठक में उसकी स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करेगी। साधारण सभा मे कुल सदस्यों 2/3 मत से संशोधित पारित होने पर उक्त प्रस्ताव पारित कर पंजीयक को अनुमोदन हेतु भेजा जावेगा।
(9) समिति के लिए भूमि तथा अचल सम्पत्ति खरीदना पटटे पर लेना संस्था हेतु भवन निर्माण करना समिति के उददेश्यों की पूर्ति के लिये किसी बैंक एवं वित्तीय संस्था से ऋण लेना चंदा एकत्रित करना अन्य किन्ही साधनों के विभिन्न संस्थाओं हेतु अनुदान प्राप्त करना।

(15) अध्यक्ष के अधिकार,– अध्यक्ष साधारण सभा तथा प्रबंधकारिणी समिति की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा तथा मंत्री द्वारा साधारण सभा में प्रबंधकारिणी की बैठक का आयोजन करवायेगा. । अध्यक्ष का मत विचारार्थ विषयों में निर्णयात्मक होगा।

(16) उपाध्यक्ष के अधिकार,,– अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा.। अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का उपयोग करेगा ।

(17) सचिव (मंत्री) के अधिकार,–
(1) साधारण सभा एवं प्रबन्धकारिणी की बैठक समय–समय पर बुलाना और समस्त आवेदन पत्र तथा सुझाव जो प्राप्त हो प्रस्तुत करना ।
(2) समिति का आय–व्यय का लेखा परीक्षण से प्रतिवेदन तैयार करके साधारण सभा के समक्ष प्रस्तुत करना।
(3) समिति के सारे कागजातो को तैयार करेगा तथा करवाना, उनका निरीक्षण करना व अनियमितता पाये जाने पर उसकी सूचना प्रबंधकारिणी को देना ।
(4) सचिव को किसी कार्य के लिए एक समय में रूपये 10,000/– करने का अधिकार होगा ।

(18) संयुक्त सचिव के अधिकार :– सचिव की अनुपस्थिति में उसके अधिकार का उपयोग करेगा।

(19) कोषाध्यक्ष के अधिकार,– समिति की धनराशि का पूर्ण हिसाब किताब रखना तथा सचिव या कार्यकारिणी द्वारा स्वीकृत लाग करना ।

(20) बैंक खाता,– संस्था की समस्त निधि किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में रहेगी। धन का आहरण अध्यक्ष या मंत्री तथा कोषाध्यक्ष के हस्ताक्षरों से या प्रबंधकारिणी व्दारा अधिकृत दो व्यक्तियों के व्दारा होगा। दैनिक व्यय हेतु कोषाध्यक्ष के पास अधिकतम रूपये 10,000/– रहेंगे।

(21) पंजीयक को भेजी जाने वाली जानकारी,– अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत संस्था की वार्षिक आमसभा होने के दिनांक से 14 दिन के भीतर निर्धारित प्रारुप पर कार्यकारिणी समिति की सूची फाईल की जावेगी तथा धारा 28 के अन्तर्गत संस्था की परीक्षित लेखा भेजेगी ।

(22) संशोधन.– संस्था के विधान में संशोधन साधारण सभा की बैठक में कुल सदस्यों के 2/3 मतों से पारित होगा। यदि आवश्यक हुआ तो संस्था के हित में उसके पंजीकृत विधान में संशोधन करने के अधिकार पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाएं को होगा जो प्रत्येक सदस्य को मान्य होगा।

(23) विघटन.– संस्था का विघटन साधारण सभा में कुल सदस्यो के 3/5 मत से पारित किया जावेगा। विघटन के पश्चात संस्था की चल तथा अचल सम्पति किसी समान उद्वेश्यों वाली संस्था को सौंप दी जावेगी। उक्त समस्त कार्यवाही अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार की जावेगी।

(24) सम्पति.– संस्था की समस्त चल तथा अचल सम्पति संस्था के नाम से रहेगी। संस्था की अचल सम्पति (स्थावर) रजिस्टार फर्म्स एवं संस्थाऐं की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा दान द्वारा या अन्यथा प्रकार से अर्जित या अन्तरित नही की जा सकेगी ।

(25) बैंक खाता.– संस्था की समस्त निधि किसी अनुसूचित बैंक या पोस्ट आफिस में रहेगी । एवं समय-समय पर धन निकालने व जमा करने की प्रक्रिया जारी रहेगी ।

(26) पंजीयक द्वारा बैठक बुलाना.– संस्था की पंजीकृत नियमावली के अनुसार पदाधिकारियों द्वारा वार्षिक बैठक न बुलाए जाने पर या अन्य प्रकार से आवश्यक होने पर पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाऐं को बैठक बुलाने का अधिकार होगा। साथ ही यह बैठक में विचारार्थ विषय निश्चित कर सकेगा

(27) विवाद. –संस्था में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर अध्यक्ष को साधारण सभा की अनुमति से सुलझाने का अधिकार होगा। यदि इस निश्चित निर्णय से पक्षो को सन्तुष्टि न हो तो वे रजिस्ट्रार की ओर विवाद के निर्णय के लिये भेज सकेंगें। रजिस्ट्रार का निर्णय अन्तिम व सर्वमान्य होगा । संचालित संस्थाओं के विवाद अथवा प्रबन्ध समिति के विवाद उत्पन्न होने पर अन्तिम निर्णय देने का अधिकार रजिस्ट्रार को होगा ।

सहायक पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाएं
ग्वालियर संभाग, ग्वालियर